रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 1985/चैत्र 5, 1907
No. 142] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 1985/CHAITRA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1965

अधिसूचनाएं

का. आ. 231 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 218(अ), तारीख 28 मार्च, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध–ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत और उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों, जिनका अयोध्या शुगर मिल्स, लिमिटेड नामक उपक्रम जो उत्तर प्रदेश राज्य में, मुरादाबाद जिले में राजा का साहसपुर में चीनी का विनिर्माण कर रही है, या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या व्यक्ति को लागू हो, का प्रवर्तन उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेगा ;

और उक्त अधिसूचना की अवधि अधिसूचना सं. का. आ. 106(अ), तारीख 19 फरवरी, 1981, का. आ. 168(अ) तारीख 25 मार्च, 1982, का. आ. 191(अ) तारीख 22 मार्च, 1933 का. आ. 176(अ) तारीख 21 मार्च, 1984 और का. आ. 889(अ) तारीख 28 नवम्बर, 1984 द्वारा तारीख 31 मार्च, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है; बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि 1 दिसम्बर, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना की अवधि को, 1 दिसम्बर 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. स. 13-1/84-एन एस यू (जिल्द II)]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 26th March, 1985

NOTIFICATIONS

S.O. 231(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S.O. 218(E), dated the 28th March, 1980 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), had declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980, (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the undertaking known as the Ajudhia Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Raja-Ka-Sahaspur in the District of Moradabad in the State of Uttar Pradesh, or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said notification was extended upto and inclusive of the 31st March, 1935 vide notification Nos. S. O. 106(E), dated the 19th February, 1981; S. O. 168(E), dated the 25th March, 1982; S. O. 191(E), dated the 22nd March, 1983, S. O. 176(E), dated the 21st March, 1984, and S. O. 889(E) dated the 28th November, 1984.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said notification should be extended upto and inclusive of the 1st December, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby extends the duration of the said notification upto and inclusive of the 1st December, 1985.

[File No. 13-1[84-NSU(Vol.II)]

का. आ. 232 (अ) :— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. नि. 222 (अ) तारीख 28 मार्च, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका जीजा माता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड नामक उपक्रम जो महाराष्ट्र राज्य के बुलदाना जिले में शंकर नगर में चीनी का विनिर्माण कर रही है, या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या व्यक्ति को लागू हो, प्रवर्तन उक्त अवधि के लिये निलंबित रहेगा;

और उक्त अधिसूचना की अवधि, अधिसूचना सं. का. आ. 110 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1981; का. आ. 169(अ) तारीख 25 मार्च, 1982, का. आ. 192 (अ) तारीख 22 मार्च, 1983, का० आ. 177(अ), तारीख 21 मार्च, 1984 और का. आ. 906 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा तारीख 31 मार्च, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि को 12 दिसम्बर 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है बढ़ा दी जानी चाहिये ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना की अवधि को, 12 दिसम्बर 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 13-1/84-एन एस यू (जि० II)]

S. O. 232(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S. O. 222(E), dated the 28th March, 1980 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), had declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities through banks and financial institutions) to which the undertaking known as the Jijamata Sahkari Sakhar Karkhana Limited, manufacturing sugar at Shankarnagar in the District of Buldana in the State of Maharashtra, or the person owning

the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said notification was extended upto and inclusive of the 31st March, 1985, vide notification Nos. S. O. 110 (E), dated the 19th February, 1981; S. O. 169(E) dated the 25th March, 1982; S. O. 192(E), dated the 22nd March, 1983; S. O. 177(E), dated the 21st March, 1984 and S. O. 960(E) dated the 7th December, 1984;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said notification should be extended upto an dinclusive of the 12th December, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby extends the duration of the said notification upto and inclusive of the 12th December, 1985.

[File No. 13-1|84-NSU(Vol. II)]

का. आ. 233 (अ) — केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार से भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 225 (अ) तारीख 28 मार्च, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उदभूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्व, जिनका श्री केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड नामक उपक्रम जो राजस्थान राज्य में बूंदी जिले में केशोराय पाटन में चीनी का विनिर्माण कर रही है, या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या व्यक्ति को लागू हो, का प्रवर्तन उक्त अवधि के लिये निलंबित रहेगा;

और उक्त अधिसूचना की अवधि, अधिसूचना सं. का. आ. 113 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1981; का. आ. 174(अ) तारीख 25 मार्च, 1982; का. आ. 197(अ) तारीख 22 मार्च, 1983; का. आ. 182(अ) तारीख 21 मार्च, 1984 और का. आ. 904(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा तारीख 31 मार्च, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि, 12 दिसम्बर, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना की अवधि को, 12 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 13-1/84-एन एस यू (जि. II)]

S. O. 233(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S. O. 225(E), dated the 28th March, 1980 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), had declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities through banks and financial institutions) to which the undertaking known as the Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Limited manufacturing sugar at Keshoraipatan in the District of Bundi in the State of Rajasthan or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said notification was extended upto and inclusive of the 31st March, 1985, vide notification Nos. S. O. 113(E), dated the 19th February, 1981; S. O. 174(E), dated the 25th March, 1982; S. O. 197(E), dated the 22nd March, 1983; S. O. 182(E), dated the 21st March, 1984, and S. O. 904(E) dated the 7th December, 1984.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said notification should be extended upto and inclusive of the 12th December, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby extends the duration of the said notification upto and inclusive of the 12th December, 1985.

[File No. 13-1|84-NSU(Vol. II)]

का. आ. 234 (अ) —केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 221(अ) तारीख 28 मार्च, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति हस्तान्तरण, पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों में से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का जिनका देवरिया चीनी

मिल्स लिमिटेड नामक उपक्रम जो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में देवरिया में चीनी का विनिर्माण कर रही है या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या व्यक्ति को लागू हो, प्रवर्तन उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेगा;

और उक्त अधिसूचना की अवधि, अधिसूचना सं. का. आ. 109 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1981; का. आ. 172(अ) तारीख 25 मार्च, 1982, का. आ. 195(अ) तारीख 22 मार्च, 1983, का. आ. 180(अ) तारीख 21 मार्च 1984 और का. आ. 907 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा तारीख 31 मार्च, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि 26 दिसम्बर 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है बढ़ा दी जानी चाहिए।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना की अवधि को 26 दिसम्बर 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 13-1/84-एन एस यू जिल्द-II]

S. O. 234(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S. O. 221(E), dated the 28th March, 1980 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), had declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980, to which the undertaking known as the Deoria Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Deoria in the District of Deoria in the State of Uttar Pradesh, or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said notification was extended upto and inclusive of the 31st March, 1985; vide notification Nos. S. O. 109(E), dated the 19th February, 1981; S. O. 172(E), dated the 25th March, 1982; S. O. 195(E), dated the 22nd March, 1983 ; S O. 180(E), dated the 21st March, 1984 and S O. 907(E), dated the 7th December, 1984.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said notification should be extended upto and inclusive of the 26th December, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby extends the duration of the said notification upto and inclusive of the 26th December, 1985.

[File No. 13-1|84-NSU(Vol.II)]

का. आ. 235 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, ने भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का० आ. 220 (अ) तारीख 28 मार्च, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पति हस्तान्तरण-पत्रों करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों, जिनका श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड, नामक उपक्रम जो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में बेंतलपूर में चीनी का विनिर्माण कर रही है, या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या व्यक्ति को लागू हो, का प्रवर्तन उक्त अवधि के लिये निलंबित रहेगा ;

और उक्त अधिसूचना की अवधि, अधिसूचना सं. का. आ. 108(अ), तारीख 19 फरवरी, 1981, का. आ. 171(अ) तारीख, 25 मार्च, 1982 का. आ. 194(अ) तारीख 22 मार्च, 1983 का. आ. 179(अ) तारीख 21 मार्च, 1984 और का. आ. 905(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा तारीख 31 मार्च, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि, 26 दिसम्बर, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना की अवधि को 26 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 13-1/84-एन एस यू जिल्द-2]

एन० आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव

S. O. 235(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S. O. 220(E), dated the 28th March, 1980 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), had declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980, to which the undertaking known as the Sree Sitaram Sugar Company Limited, manufacturing sugar at Baitalpur in the District of Deoria in the State of Uttar Pradesh, or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said notification was extended upto and inclusive of the 31st March, 1985 vide notification Nos. S. O. 108(E), dated the 19th February, 1981; S. O. 171(E), dated the 25th March, 1982; S. O. 194(E), dated the 22nd March, 1983 S. O. 179(E), dated the 21st March, 1984 and S. O. 905(E) daed the 7th December, 1984.

And, whereas, the Central Government satisfied that the duration of the said notification should be extended upto and inclusive of the 26th December, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Managment) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby extends the duration of the said notification upto and inclusive of the 26th December, 1985.

[File No. 13-1|84-NSU(Vol.II)]

N. R. BANERJI, Jt. Secy.

1769 GI/84—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985